

①

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(आयुर्विज्ञान प्रभाग-सीएचएसएस)

भापअ केंद्र अस्पताल
अणुशक्तिनगर
मुंबई-94

संदर्भ: MD/CHSS/22(1)/2023/OPA/23193

मे 01, 2023

विषय: माता-पिता/सास -ससुर/आश्रित संबंधियों एवं 18 से 25 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों के लिए दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2024 की अवधि हेतु सीएचएसएस कार्डों का नवीनीकरण ।

1. इस अनुभाग की टिप्पणी सं.एमडी/ सीएचएसएस/21(1)/2021/ओपीए-986 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021, अनुशेष संख्या एमडी/ सीएचएसएस/21(1)/2021/1103 दिनांकित 21.12.2021 एवं टिप्पणी संख्या एमडी/ सीएचएसएस/22(1)/2022/ओपीए-20501 दिनांकित 22 दिसंबर, 2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो माता-पिता, सास-ससुर, आश्रित संबंधियों एवं 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों हेतु सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण /नवीनीकरण के संबंध में है। जिसमें माता-पिता, सास-ससुर एवं 18 से 25 वर्ष आयु वाले के बच्चों के लिए कार्डों की वैधता को दिनांक 31/07/2023 तक अपनी ओर से बढ़ाई गई है।
2. उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 जुलाई 2000 की टिप्पणी सं. 1/7/99/आईआरएंडडब्ल्यू/200, पऊवि सतर्कता टिप्पणी सं. सतर्कता-10/10/2020-पऊवि/वॉल.11/15019 दिनांकित 14.12.2021 और सतर्कता टिप्पणी सं. सतर्कता-10/10/2020-पऊवि/2617 दिनांकित 22 फरवरी, 2022 के साथ पठित दिनांक 22 जनवरी 1998 के पऊवि के का .जा. सं. 7/55/94/सीएचएसएस/आईआरएण्डडब्ल्यू/37 के पैरा 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पऊवि सीएचएस योजना का सदस्य है, पिछले वर्ष (AE 2023-2024) के आयकर रिटर्न की प्रतियां और माता-पिता के आवास का प्रमाण संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करते हुए उसे भापअ केंद्र के सीएचएसएस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
3. विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने माता-पिता/सास-ससुर के सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए अनुमोदन दिया है । जिन मुख्य लाभार्थियों के माता-पिता/सास-ससुर को पेंशन नहीं मिल रही है और जिनकी कोई नियमित आमदनी नहीं है वे अपने संबंधित प्रशासनिक प्रभाग/इकाई के कार्यालय में दिनांक 01.06.2023 से 01.08.2023 तक माता-पिता/सास-ससुर के आवास का प्रमाण और पिछले वर्ष (AE-2023-24) की पावती (रसीद) के साथ शून्य आयकर रिटर्न की प्रतियों के साथ निर्धारित घोषणा प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/मुख्य लाभार्थी को पुनर्वैधीकरण के लिए भापअ केंद्र अस्पताल के सीएचएसएस कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रभागीय कार्यालय/इकाई, सीएचएसएस कार्डों का पुनर्वैधीकरण करेगा तथा दिनांक 01.08.2023 तक ई मेल chssoff@barc.gov.in द्वारा निर्धारित प्रारूप (फार्मेट) में पुनर्वैधीकृत कार्डों के केवल ब्योरे अग्रेषित करेगा। निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-2) में प्रभागीय कार्यालय/इकाई द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के आधार पर, सीएचएसएस कार्यालय अपने रिकार्डों में प्रविष्टि करेगा तथा अस्पताल सूचना

प्रणाली (एचआईएस) को अद्यतन करेगा। मुख्य लाभार्थी द्वारा भरे गए प्रपत्रों और साथ में प्रस्तुत अनुलग्नकों को रिकार्ड के लिए प्रभागीय कार्यालय/इकाई में रखा जाए।

4. ऐसे माता-पिता/सास-ससुर जिनको नियमित आमदनी है/पेंशन मिल रही है और ऐसे आश्रित जो प्रति व्यक्ति अंशदान के भुगतान के आधार पर पंजीकृत हैं उनके मामले में पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया, वर्तमान कार्यविधि के अनुसार सीएचएसएस कार्यालय द्वारा पूरी की जाएगी। माता-पिता/सास-ससुर एवं आश्रितों के संबंध में, आवासीय पते (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, राशन कार्ड) एवं आयकर रिटर्न जहां भी लागू है, का नवीनतम मूल दस्तावेजी साक्ष्य, सत्यापन के लिए सीएचएसएस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
5. पऊवि के का.जा. सं. 7/14/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/17165 दि. 28 दिसंबर, 2016 के अनुसार मुख्य लाभार्थी के माता-पिता/सास-ससुर जो पूरी तरह मुख्य लाभार्थी पर आश्रित हैं और सामान्यतः मुख्य लाभार्थी के साथ रह रहे हैं, तथा साथ ही साथ दोनों यानी माता-पिता/सास-ससुर की सभी स्रोतों से मासिक आय रु 9000/- तथा विचारण के दिन की मंहगाई राहत (DR) से अधिक नहीं है, वह आश्रित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आश्रित होने की बात को प्रमाणित करने के लिए, आयकर रिटर्न की प्रतियां और आयकर रिटर्न दाखिल करने पर विभाग से प्राप्त पावती रसीद, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. सीएचएसएस के नियम 4.2.2 के अनुसार यह संबंधित कर्मचारी का उत्तरदायित्व है कि जैसे ही उसके परिवार का कोई सदस्य योजना का लाभ उठाने के लिए अपात्र हो जाता है, वह भापअ केंद्र अस्पताल के आयुर्विज्ञान प्रभाग को सूचित करेगा और सीएचएसएस कार्ड वापस कर देगा। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र को अंतिम माना जाएगा और यदि यह गलत पाया जाता है, वैधता की अवधि के दौरान लाभार्थी पर किए गए उपचार का पूरा व्यय कर्मचारी से वसूल किया जाएगा और कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाएगी और बाद में कर्मचारी द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. पऊवि के का.जा. सं. 7/14/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/17165 दि. 28 दिसंबर, 2016 के अनुसार, भापअ केंद्र के मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वारा जारी एवं इस प्रभाग द्वारा यथासूचित दिनांक 17 नवंबर, 2005 के परिपत्र सं. बीएआरसी/सीएचएसएस/4.2.1/5484 के अनुसार, 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले बच्चों के सीएचएसएस कार्डों का पुनर्वैधीकरण इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत प्रभागीय सहायक कार्मिक अधिकारी/प्रशा.अधि. III/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों से अनुरोध है कि घोषणा प्रपत्र (प्रति संलग्न) को भरकर बच्चों के कार्ड के पुनर्वैधीकरण हेतु संबंधित प्रभागीय कार्यालय/ इकाई को प्रस्तुत करें। प्रभागीय कार्यालय इकाई, सीएचएसएस कार्डों का पुनर्वैधीकरण करके उसे जारी करेगा तथा पुनर्वैधीकृत कार्डों के केवल ब्योरों को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-2) में दिनांक 01.08.2023 तक या इससे पहले तक ई मेल chssoff@barc.gov.in द्वारा भापअ केंद्र अस्पताल के सीएचएसएस कार्यालय के सहायक कार्मिक अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा ताकि भापअ केंद्र अस्पताल के HIMS में आंकड़ों का अद्यतन किया जा सके। 22 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के सीएचएसएस कार्डों को आगे और दो वर्षों की अवधि के लिये पुनर्वैधीकृत किया जाएगा और इस संबंध में पऊवि नोट सं. सतर्कता-10/10/2020-पऊवि/2617 दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अनुदेशों को पालन किया जाना है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि-

“आय संबंधी विवरणों के पुष्टीकरण हेतु आश्रित बच्चे जो 22 वर्ष या अधिक आयु को हो उनके संबंध में प्रतिवर्ष पिछले वर्ष (AE 2023-24) की आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, यदि आश्रित छात्र है और कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हो रहा है और दूर शिक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं कर रहा है, तो आयकर रिटर्न के बदले में वास्तविक/मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें यह सूचित हो कि आश्रित नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहता है। सीएचएसएस सुविधा लेने के लिए आश्रित की आय के संबंध में कर्मचारी द्वारा दी जानेवाला घोषणापत्र भी इसके अतिरिक्त प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त अंशकालिक रोजगार के मामले में संतान को लाभप्रद रूप से रोजगार प्राप्त नहीं माना जाएगा, यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा ऐसा प्रमाणित दिया जाता है और मासिक आय रु. **6000/-** प्रति महीने से अधिक नहीं है।”

8. नियमित आमदनी/ पेंशन प्राप्त करनेवाले माता-पिता/सास-ससुर/आश्रित संबंधियों के सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण/नवीनीकरण संबंधी कार्य, भापअ केंद्र अस्पताल के सीएचएसएस कार्यालय में दिनांक 01.06.2023 से 01.08.2023 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक और दोपहर 02.30 बजे से 03.30 बजे के बीच केवल संलग्न अनुसूची के अनुसार ही किया जाएगा। कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया वे उल्लेखित तारीखों एवं समय का पालन करना सुनिश्चित करें। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि नवीनीकरण हेतु किया गया आवेदन पूर्ण रूप से भरा गया हो। सीएचएसएस कार्यालय को सही सूचना देना मुख्य लाभार्थी का उत्तरदायित्व होगा।
9. सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण/नवीनीकरण हेतु किए गए अनुरोध को असाधारण कारणों यथा कर्मचारी के अवकाश, दौरा, अस्थायी स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि पर रहने को छोड़कर दिनांक 01.08.2023 के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख प्रभागीय इकाई प्रशा.अधि. III/सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा विशेष रूप से किया जाना है और ऐसे मामलों में इनके द्वारा इयूटी पर रिपोर्ट करने के 1 माह के भीतर दोपहर 02.00 बजे से 03.30 बजे तक पुनर्वैधीकरण/नवीनीकरण किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद, उपर उल्लिखित पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया को पूरी किए बिना लाभार्थी को औषधालय/अस्पताल में आने की अनुमति नहीं होगी।

अनिर्वाज भट्टाचार्य
(अनिर्वाज भट्टाचार्य)
प्रशासन अधिकारी-III

संलग्न: पुनर्वैधीकरण हेतु प्रपत्र

वितरण/DISTRIBUTION:

सूची 'क' के अनुसार

1. भापअ केंद्र के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के अध्यक्ष- (बीटीएस के माध्यम से)
2. मुख्य प्रशासन अधिकारी, एचडब्ल्यूबी/डीपीएस/डीसीएसईएम/टीएमसी-परेल एण्ड टीएमसी-एक्ट्रेक/एईईएस
3. उप सचिव (प्रशासन), पऊवि
4. डीजीएम (पीएंडआईआर), एनपीसीआईएल
5. प्रशा.अधि.।।।, डीपीएस/ब्रिट/डीसीएसईएम/टीआईएफआर/एचडब्ल्यूबी/एईआरबी/इसरो
6. अवर सचिव (आइआरएंडडब्ल्यू), पऊवि
7. महा प्रबंधक (एचआरडी), आईआरईएल
8. सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ
9. इकाइयों के अध्यक्ष, भापअ केंद्र अस्पताल
10. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सभी औषधालय

नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु

अनुलग्नक /ANNEXURE

यह केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू है जिनके माता-पिता/सास-ससुर को नियमित आमदनी है /पेंशन मिल रहा है।

(APPLICABLE ONLY TO EMPLOYEES WHOSE PARENTS/PARENTS-IN-LAW ARE HAVING REGULAR INCOME/PENSION)

(NOTE No. MD/CHSS/20(1)/2023/OPA/ dtd April ,2023)

समय : प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक
TIMINGS: 11.00 am to 1.00 pm & 2.30 pm to 3.30 pm

जिन इकाइयों में कर्मचारीगण कार्यरत हैं उनके नाम EMPLOYEES WORKING IN	सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण की तारीख DATE OF REVALIDATING THE CHSS CARDS
भापअ केंद्र BARC	01.06.2023 to 16.06.2023
एईईएस/एईआरबी/एचडब्ल्यूबी AEES/AERB/HWB	19.06.2023 to 23.06.2023
टीएमसी-परेल एण्ड टीएमसी - एक्ट्रेक TMC-PAREL&TMC-ACTREC	26.06.2023 to 30.06.2023
एनपीसीआईएल/टीआईएफआर/सीआईएसएफ NPCIL/TIFR/CISF	03.07.2023 to 07.07.2023
डीसीएसईएम/डीपीएस DCSEM/DPS	10.07.2023 to 14.07.2023
डीएई/ब्रिट/इसरो-एम/एनएफसी-एम DAE/BRIT/ISRO-M/NFC-M	17.07.2023 to 21.07.2023
कर्मचारी जो उपर दिए गए तारीखों को नहीं आ सके FOR EMPLOYEES WHO COULD NOT COME ON THE DATES MENTIONED ABOVE	24.07.2023 to 01.08.2023

Revalidation/renewal of CHSS cards after 01.08.2023 will not be entertained.

सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण/नवीनीकरण दिनांक 01.08.2023 के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा

सीएचएसएस सुविधा के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र
APPLICATION FORM FOR REVALIDATION OF CHSS FACILITY OF: -

- माता-पिता/सास-ससुर PARENTS/ PARENTS-IN-LAW
- 'संबंधी' की परिभाषा के अंतर्गत पंजीकृत अन्य आश्रित जो प्रति व्यक्ति खर्च का भुगतान करते हैं
OTHER DEPENDENTS REGISTERED UNDER DEFINITION "RELATIVE" PAYING PER-CAPITA EXPENDITURE

मुख्य लाभार्थी का नाम Name of the Prime Beneficiary	
पदनाम / Designation	
अनुभाग/प्रभाग/इकाई/Section /Division/Unit	
मुख्य लाभार्थी की अधिवर्षिता की तारीख Date of Superannuation	
दूरभाष क्रमांक /Telephone Number	
सं.सं.सं. एवं कर्मचारी सं. / CC No. & Employee No	
मुख्य लाभार्थी की सीएचएसएस संख्या/औषधालय CHSS No. of Prime Beneficiary/Dispensary	
वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन Pay in Pay Band + Grade Pay & Level Pay	
स्वयं एवं आश्रितों का वर्तमान पता Present Address of Self and Dependents	राशन कार्ड का पता Address on the Ration Card

जिन आश्रितों [माता-पिता/सास-ससुर/संबंधी] के कार्डों का पुनर्वैधीकरण करवाना है उनका विवरण:

Particulars of Dependents [Parents/Parents-in-law/Relative] requiring revalidation:

नाम Name	संबंध/ Relation- ship	जन्म तारीख Date of Birth	आय Income	आवास का प्रमाण Address Proof *	अभ्युक्तियां Remarks

* (जैसे) राशन कार्ड, आधार इत्यादि (e.g) Ration card, Aadhar, Voter ID etc.,

"मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित मेरे पिता/माता/ससुर/सास/संबंधी मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे ऊपर आश्रित हैं। ऊपर दिया गया विवरण सही है और ऐसा ही मेरे वैयक्तिक फाइल और सेवा पुस्तिका आदि के रिकार्ड में है। जैसे ही मेरे परिवार का कोई सदस्य इस लाभ के लिए अपात्र हो जाता है वैसे ही मैं आयुर्विज्ञान प्रभाग को सूचित करूंगा और सीएचएसएस कार्ड वापस कर दूंगा। यदि किसी सदस्य के बारे में कोई सूचना गलत

8

पाई जाती है तो उस सदस्य का नाम तुरंत काट दिया जाएगा और उसके उपचार पर किया गया संपूर्ण खर्च वापस लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त मेरे ऊपर अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।”

“I hereby declare that my *father/mother/father-in-law/mother-in-law/relative mentioned above is/are staying with me and dependent upon me. Particulars furnished above are correct and are as recorded in my Personal File and Service Book etc. I shall notify Medical Division as soon as any member of my family becomes ineligible for the benefit and surrender the CHSS card. In case any information in respect of any member is found to be incorrect, the member's name will be cancelled forthwith, and entire cost on the treatment shall be recovered and in addition I will be liable for disciplinary action.

मुख्य लाभार्थी के हस्ताक्षर और तारीख :

Signature of Prime Beneficiary with date: _____

कार्ड “एन” (पिता) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया Card “N” [Father] is revalidated upto	31-07-2024
कार्ड “एम” (माता) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया Card “M” [Mother] is revalidated upto	31-07-2024
कार्ड “एक्स” (ससुर) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया Card “X” [Father-in-law] is revalidated upto	31-07-2024
कार्ड “वाई” (सास) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया Card “Y” [Mother-in-law] is revalidated upto	31-07-2024
कार्ड “पी” () का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया Card “P” [] is revalidated upto	

स.का.अ, सीएचएसएस/ संबंधित प्रभाग के स.का.अ./प्रशा.अधि.॥ के हस्ताक्षर और तारीख

Signature of APO, CHSS/ APO/AO-III of the concerned Divn. With date _____

पुनर्वैधीकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

Documents to be produced at the time of Revalidation:

1. नवीनतम आय प्रमाणपत्र/पेंशन पासबुक आदि की मूल प्रति ।
Latest Income certificate (ITR of AE 2023-24 with acknowledgment & Form 26 AS)/Pension Pass Book etc. original.
2. आवास का प्रमाण पत्र – राशन कार्ड, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पास बुक आदि ।
Address Proof – Ration Card, Adhar, Election, Pass Book etc.
3. लाभार्थी के लिए नए कार्ड जारी करने हेतु उनकी फोटो, यदि पुनर्वैधीकरण के लिए जगह नहीं है ।
Photograph of the beneficiary, for issue of new card where there is no space for revalidation, and kindly revalidate the date on the CHSS card.

Annexure-II

बच्चों के सीएचएसएस कार्डों के पुनर्वैधीकरण के लिए घोषणा पत्र का प्रपत्र

FORM OF DECLARATION FOR REVALIDATION OF THE CHSS CARDS OF CHILDREN

मुख्य लाभार्थी का नाम Name of the Prime Beneficiary	
पदनाम /Designation	
अधिवर्षिता की तारीख Date of Superannuation	
अनुभाग/प्रभाग/इकाई/ Section /Division/Unit	
दूरभाष सं./Telephone Number	
सं.सं.सं. एवं कर्मचारी सं. / CC No. & Employee No	
मुख्य लाभार्थी की सीएचएसएस संख्या/औषधालय CHSS No. of Prime Beneficiary/Dispensary	
वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन Pay in Pay Band + Grade Pay & Level Pay	
स्वयं एवं बच्चों का वर्तमान पता Present Address of Self and Children	

जिन बच्चों के कार्डों का पुनर्वैधीकरण करवाना है उनका विवरण :

Particulars of children requiring revalidation:

नाम /Name सुश्री/मास्टर Kum/Mast.	जन्मतारीख/ Date of Birth	व्यवसाय एवं आय Occupation & Income	विद्यालय/महा विद्यालय School/ College	पाठ्यक्रम का विवरण (प्रमाण सहित) Details of the Course (with Proof)	वैवाहिक स्थिति Marital Status	अभ्युक्तियाँ/ Remarks

"मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर जिन बच्चों का उल्लेख किया गया है, वे अविवाहित हैं और मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे ऊपर आश्रित हैं। ऊपर दिया गया विवरण सही है और ऐसा ही मेरे वैयक्तिक फाईल और सेवा पुस्तिका आदि के रिकार्ड में है। जैसे ही मेरे परिवार का कोई सदस्य इस लाभ के लिए अपात्र हो जाता है वैसे ही मैं आयुर्विज्ञान प्रभाग को सूचित करूंगा और सीएचएसएस कार्ड वापस कर दूंगा। यदि किसी सदस्य के बारे में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो उस सदस्य का नाम तुरंत काट दिया जाएगा और उसके उपचार पर किया गया संपूर्ण खर्च वापस लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त मेरे ऊपर अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।"

"I declare that the children mentioned above are unmarried and staying with me and dependent upon me. Particulars furnished above are correct and are as recorded

in my Personal File and Service Book etc. I shall notify Medical Division as soon as any member of my family becomes ineligible for the benefit and surrender the CHSS card. In case any information in respect of any member is found to be incorrect, the member's name will be cancelled forthwith and entire cost on the treatment shall be recovered and in addition I will be liable for disciplinary action".

मुख्य लाभार्थी के हस्ताक्षर और तारीख :

Signature of the Prime Beneficiary with date : _____

कार्ड सी की वैधता की तारीख Card - C revalidated upto	
कार्ड डी की वैधता की तारीख Card - D revalidated upto	
कार्ड ई की वैधता की तारीख Card - E revalidated upto	

पुनर्वैधकृत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख एवं मोहर :

Signature of Officer authorized to revalidate with date & stamp _____